99

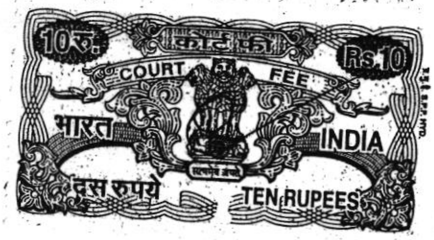

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 595-PBR/2013 जिला–विदिशा

R 595-PBR/13

श्रीमती जुम्मोदवी पत्नी वहीद खां पुत्री दौलत खां मुसलमान, निवासी– ग्राम सीहोर, इमलिया, जिला–रायसेन (म.प्र.)

...... आवेदिका

द्वारा आज दि. 12.2.13 को प्रस्तुत
12.2.13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

दौलत खां पुत्र सम्पत खां मृत

(1) छोटे खां पुत्र सम्पत खां मुसलमान
(2) सादिक खां पुत्र गादू खां मुसलमान
(3) एहसान खां पुत्र छोटे खां मुसलमान

निवासीगण– ग्राम देवराजपुर, तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

Chaturvedi 12/2/13

1– यहकि, ग्राम देवराजपुर तहसील विदिशा में स्थित खसरा क्रमांक 36 रकवा 1.024 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 64 रकवा 1.025 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 65 रकवा 0.115 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 118/1 रकवा 2.864 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 116/3 रकवा 1.672 हेक्टेयर कुल रकवा 6.701 हेक्टेयर, जिसमें मृतक दौलत खां का हिस्सा 4.579 हेक्टेयर है। मृतक दौलत खां द्वारा नवम्बर, 2004 में सम्पूर्ण भूमियां तथा अपने हिस्से का रकवा अर्थात् 4.579 हेक्टेयर भूमि आवेदिका को हिबा द्वारा देकर मौके पर कब्जा दे दिया गया था तथा उक्त भूमि पर आवेदिका का निरन्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा है, चूंकि दौलत खां काफी वृद्ध हो गये थे ऐसी स्थिति में उनके चलने–फिरने

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-595-पीबीआर/13 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 21-02-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। (3) प्रशासकीय सदस्य	